बुधा बनाम जोगाराम
2024/371
निर्णय दिनांकः—10.03.2025

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2024/371 दर्ज तिथिः—04.09.2023

1. बुधा पुत्र हरचंद
2. विरमाराम पुत्र खमूराम
3. मनोहर पुत्र खमूराम
4. शंकरी देवी पत्नी खमूराम

जाति विश्नोई निवासी अणदाणियों की बेरी राणासर खुर्द तहसील नोखडा

............प्रार्थीगण

बनाम

1. जोगाराम पुत्र हरचंद
2. केशाराम पुत्र हरचंद

जातियान विश्नोई निवासी अणदाणियों की बेरी राणासर खुर्द तहसील नोखडा

3. तहसीलदार नोखडा

.............अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री रामजीवन विश्नोई
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—10.03.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

   - खातेदारी आराजी खसरा संख्या 133, 538 मौजा बाण्ड, पटवार हल्का बाण्ड, खसरा संख्या 213, 214, 259 मौजा अणदाणियों की बेरी, खसरा संख्या 60, 68, 344/17, 695/270 मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। उक्त आराजी में खसरा संख्या 538 मौजा बाण्ड, खसरा संख्या 213, 214 मौजा अणदाणियों की बेरी ही विवादग्रस्त आराजी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:47:04 IST
Reason: SelfAttested

- कि उक्त समस्त आराजी का सहमति से विभाजन किया गया। उक्त सहमति के विभाजन आदेश दिनांक 10.03.2022 के अनुसार नामांतरकरण संख्या 1157 दिनांक 22.05.2024 व नामांतरकरण संख्या 905 दिनांक 21.05.2024 के द्वारा राजस्व नक्शा में तरमीम की गई। उक्त तरमीम करते समय प्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 967/538 मौजा बाण्ड व प्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 के खसरा संख्या 213, 908/214 मौजा अणदाणियों की बेरी की तरमीम सहमति से विभाजन से भिन्न गलत कर दी गई।
- कि प्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 967/538 मौजा बाण्ड व प्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 के खसरा संख्या 213, 908/214 मौजा अणदाणियों की बेरी की तरमीम सहमति से विभाजन, कब्जा काश्त व परिशिष्ट—अ के अनुसार किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1786 दिनांक 21.11.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

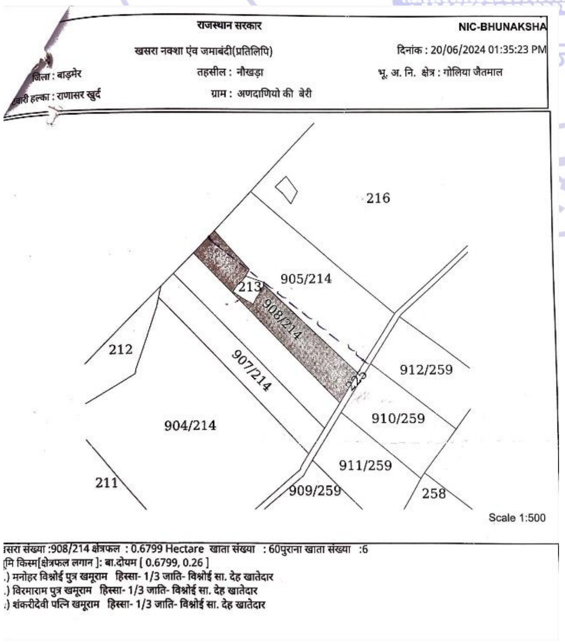

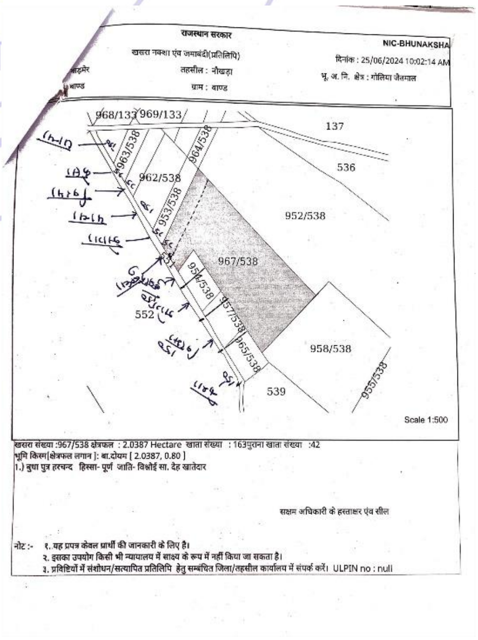

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:47:04 IST
Reason: SelfAttested

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा पत्रांक/भू.अ./2024/1786 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त रिपोर्ट पर पक्षकारों के मध्य सहमति प्रदान की गई है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1786 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

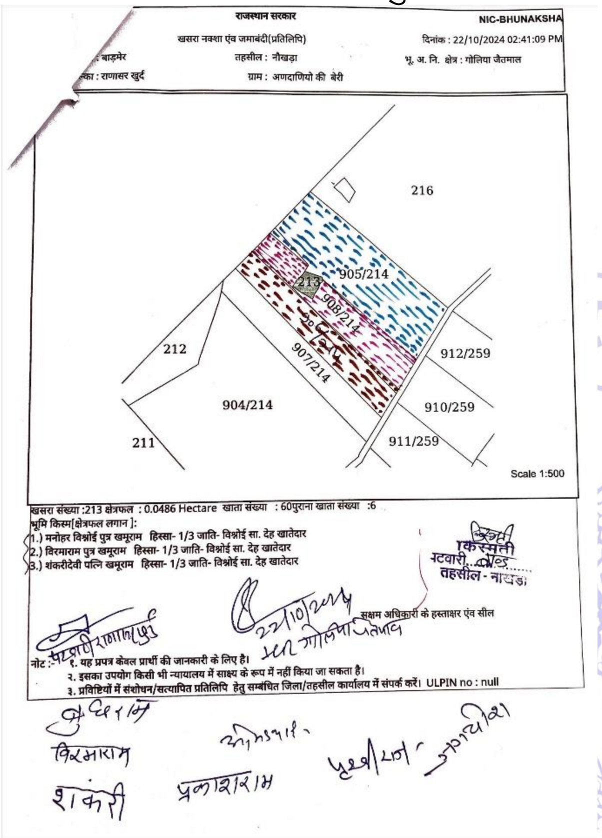

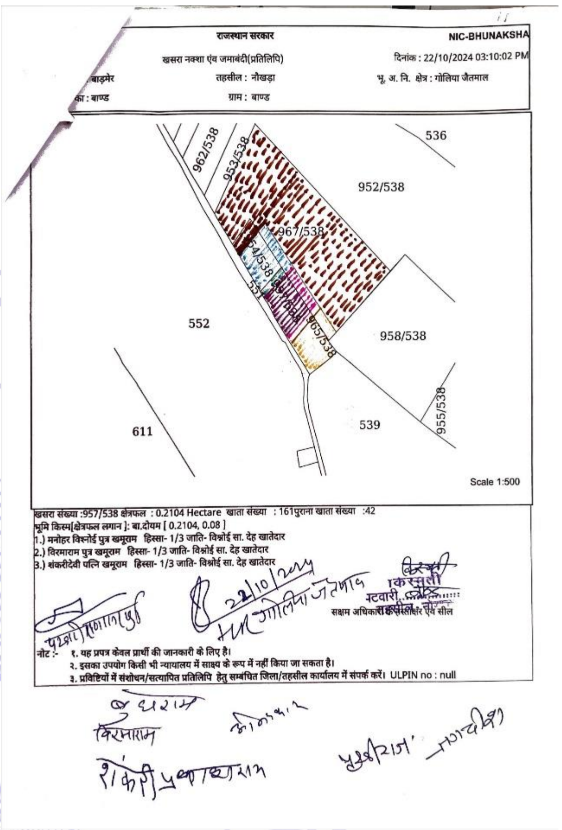

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा पत्रांक/भू.अ./2024/1786 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नोखड़ा पत्रांक/भू.अ./2024/1786 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा पत्रांक/भू.अ./2024/1786 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/भू.अ./2024/1786 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:47:04 IST
Reason: SelfAttested

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:47:04 IST
Reason: SelfAttested